न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
09 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	13.01.2020	24.12.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री भेरूलाल खत्री पुत्र श्री नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक राज0
2– मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक राज0
3–श्री नरेन्द्र कुमार सेठिया पुत्र श्री रामस्वरूप सेठिया प्रोपरायटर मैसर्स विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खारी रोड बागौर जिला भीलवाडा निवासी सदर बाजार बागौर जिला भीलवाडा राज0
4– मैसर्स विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खारी रोड बागौर जिला भीलवाडा राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक **24.12.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2019 को समय 3.11 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री भेरूलाल खत्री पुत्र श्री नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र का ऑललाईन आवेदन दिखया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **नमकीन मयूर पॉली पैक** (Namkeen Mayur Poly Pack) जिसके बैच नं. व पैकिंग दिनांक अनुपस्थित थी,रखा हुआ था का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ. बी.ओ. श्री भेरूलाल खत्री को गवाह के सामने फार्म ... में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक 168

Scanned by CamScanner

नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता भेरूलाल खत्री एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 50 पैकेट **नमकीन मयूर पॉली पैक (Namkeen Mayur Poly Pack)** रखे हुये मे से 4 पैकेट ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री भेरूलाल खत्री को रू0 147/–अक्षरे एक सौ सैतालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन मयूर पॉली पैक (Namkeen Mayur Poly Pack)** 4 पैकेट कुल मात्रा 2 किलोग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 500–500 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया व चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बो मे अलग–अलग भरकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2355 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2355 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. भेरूलाल खत्री के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री भेरूलाल खत्री ने मौके पर **नमकीन मयूर पॉली पैक (Namkeen Mayur Poly Pack)** बतोर वारन्टी मैसर्स विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खारी रोड बागौर जिला भीलवाडा राज0का बिल/इन्वॉइस नं. 3657 दिनांक 14.10.2019 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2453 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2512/एक्ट/2020/2044 दिनांक 13.11.2019 के अनुसार भेरूलाल खत्री से वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested

1169 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन मयूर पॉली पैक** (Namkeen Mayur Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) (a) 3(1) (zf) (b) (ii) 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded)का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **नमकीन मयूर पॉली पैक** (Namkeen Mayur Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **नमकीन मयूर पॉली पैक** (Namkeen Mayur Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन मयूर पॉली पैक** (Namkeen Mayur Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री भेरूलाल खत्री पुत्र श्री नत्थूमल खत्री एफ.बी.ओ. मैसर्स गोविन्द ट्रेडर्स ममता सर्किल के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार सेठिया पुत्र श्री रामस्वरूप सेठिया प्रोपरायटर मैसर्स विनोद कुमार नरेन्द्र कुमार खारी रोड बागौर जिला भीलवाडा निवासी सदर बाजार बागौर जिला भीलवाडा राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:09 IST
Reason: SelfAttested

1170

Scanned by CamScanner